



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270526
CG-DL-E-26022026-270526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 945]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 989(अ).—जबकि मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात), आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट संख्या 5ए, पांचवीं मंजिल, डी.सं.6-3-626/1/601, परमेश्वर अपार्टमेंट, आनंद नगर, खैरताबाद, हैदराबाद-500004 में है, ने पारेषण योजना, “छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 3 और 4 (2×660 मेगावाट) के लिए समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण” के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकरण के लिए प्राधिकृत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11/2/2011-पीजी (लैंको अमरकंटक) दिनांक 5 जुलाई, 2011 के अंतरगत पारेषण योजना, “छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 3 और 4 (2×660 मेगावाट) के लिए समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण” के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ने स्थानीय समाचार पत्र सेंट्रल क्रॉनिकल (अंग्रेजी में) दिनांक 17 मई 2025, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 17 मई 2025, हरिभूमि

(हिंदी में) दिनांक 17 मई 2025 और शुद्धिपत्र दिनांक 18 जून 2025, लोकसदन (हिंदी में) दिनांक 17 मई, 2025 और शुद्धिपत्र दिनांक 18 जून 2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 19 जुलाई 2025 में आम जनता के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर टिप्पणियां/ अभ्यावेदन करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके बाद, मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ने 06 जनवरी 2026 को एक हलाफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र और अखबारों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के अंदर कोई अभ्यावेदन / टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 3 और 4 (2×660 मेगावाट) के लिए समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:-

- कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्विचयार्ड से 400/765 केवी चंपा पूलिंग स्टेशन तक 400 केवी डीसी (क्वाड मूस) समर्पित ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी:

गांवों का नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
पतराही, खोरदाल, बारीडीह, कार्टबिटल, दर्भाट, अखरपाली, बरैरी, मसान, कुदुरमाल, देवरी, देवीरमाल, उरग, भादा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
बैगापाली, पकरीभाठा, भैंसामुरा, संडेल, तरदा, भांठापारा, कठनमाल, भाठापारा, धनवारपारा, कनकी, कटरापारा, जोगीपाली, डोंगरा, झिका, मोहरा, मझगांव, गितारी, चिचोली, थिटोली, सरगबुंदिया, कटहरीमाल, बगदर, भाठापारा	करतला	कोरबा	छत्तीसगढ़
केराकछार, देवरी, पुरेना, तिंगीपुर, पहाड़िया, उरई खुर्द, उरई कलां, पंतोरा, परसाभाठा, केरा, रामपुर, दमखाचा, खारी, गतवा, पोथरापाली, किंद्रापारा, सरायजाली, बरबहा, सलियाभाठा, सत्तीगुड़ी, खैजा, बोहरापाली, खरमोरा, गोवाबंद, घटादेई, बैजलपुर, करमंदा, खोहा, मोहर, परसाभट्टा, उसलापुर, अंगारखार, कांड्रा, कोलिहा देवरी	बलोदा	जांजगीर-चांपा	छत्तीसगढ़
पाली, सिवनी, कनाइबंड, बोदसरा, बनारी, पुटपुरा, कर्पापाली, तेंदूभाठा, खैरवारटोला, मरकडिन, हाथीटिकरा, सबरिया, सरखों, नैला, पाहंदा, घनवा	जांजगीर	जांजगीर-चांपा	छत्तीसगढ़
तिलई, घनवा, तागा, परसदा, चोरभट्टी, गरहोइया, पौना, बिरकोनी, गधोला	अकलतरा	जांजगीर-चांपा	छत्तीसगढ़

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/24/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 989(E).—Whereas M/s Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Power Limited), the applicant with its registered office at Flat No.5A, 5th Floor, D.NO.6-3-626/1/601, Parameshwara Apartment, Anand Nagar, Khairatabad, Hyderabad-500004 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the transmission scheme, “Construction of dedicated transmission line for unit 3 & 4 (2×660 MW) of Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Limited) Thermal Power Project at Korba, Chhattisgarh”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 11/2/2011-PG (Lanco Amarkantak) dated 5th Jul, 2011 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of transmission line included in the transmission scheme, “Construction of dedicated transmission line for unit 3 & 4 (2×660 MW) of Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Limited) Thermal Power Project at Korba, Chhattisgarh”.

M/s Korba Power Limited had published notice for transmission scheme in local newspaper Central Chronicle (in English) dated 17th May 2025, The Times of India (in English) dated 17th May 2025, Haribhoomi (in Hindi) dated 17th May 2025 along with corrigendum dated 18th Jun 2025, Lok Sadan (in Hindi) dated 17th May, 2025 along with corrigendum dated 18th Jun 2025 & and in Weekly Gazette of India dated 19th July 2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Korba Power Limited has submitted an affidavit dated 6th Jan 2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Power Limited). The following overhead transmission line is covered under this scheme:-

- Construction of 400 kV D/C (Quad moose) dedicated Transmission Line from Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Power Limited) Thermal Power Project Switchyard to 400/765 kV Champa Pooling Station.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Chhattisgarh state:

Villages	Tehsil	District	State
Patarhi, Khordal, Baridih, Katbitla, Darrabhata, Akhrapali, Barairi, Masan, Kudurmal, Deori, Devermal, Uрга, Bhada	Korba	Korba	Chhattisgarh
Baigapali, Pakribhatha, Bhainsamura, Sandel, Tarda, Bhanthapara, Kathnmal, Bhathapara, Dhanwarpara, Kanki, Katrapara, Jogipali, Dongra, Jhinka, Mohra, Majhgaon, Gitari, Chicholi, Thitoli, Saragbundiya, Katharimal, Bagdar, Bhatapara	Kartala	Korba	Chhattisgarh
Kerakachhar, Devri, Purena, Tingipur, Pahariya, Orai Khurd, Orai Kalan, Pantora, Parsabhatha, Kera, Rampur, Damkhacha, Khari, Gatwa, Pothrapali, Kindrapara, Saraijali, Barbhaha, Saliyabhatha, Sattigudi, Khaija, Bohrapali, Kharmora, Gowaband, Ghatadei, Baijalpur, Karmanda, Khoha, Mohar, Parsabhatha, Uslapur, Angarkhar, Kandra, Koliha Deori	Baloda	Janjgir-Champa	Chhattisgarh
Pali, Seoni, Kanaiband, Bodsara, Banari, Putpura, Karrapali, Tendubhatha, Khairwartola, Markadin, Hathitikra, Sabariya, Sarkhon, Naila, Pahanda, Ghanwa	Janjgir	Janjgir-Champa	Chhattisgarh
Tilai, Ghanwa, Taga, Parsada, Chorbhatti, Garhoia, Pauna, Birkoni, Gadholia	Akaltara	Janjgir-Champa	Chhattisgarh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Korba Power Limited (Formerly known as Lanco Amarkantak Power Limited) for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years.
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Korba Power Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/24/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)